न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
रूपेश फौजाजी सोलंकी पुत्र फोजाराम जाति छीपा निवासी जोगापुरा तह0 शिवगंज	बनाम	राजरथान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार चितारा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 33/2024

–:आदेश:–

दिनांक 28.08.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारों की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है। जिसके खसरा नं0 96 रकबा 3.3751 हैक्टयर है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी का उत्तराधिकारी नामांतकरण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तो प्रार्थी के गलत नामांतकरण में प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र फोजीया जाति छीपा निवासी जोगापुरा के नाम से दर्ज कर दिया गया था जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसै आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में सही नाम रूपेश फौजाजी सोलंकी पुत्र फौजारामजी है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 27.08.2024 को जवाब पेश किया जिस पर उभय पक्ष की दिनांक 28.08.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज के खसरा नंम्बर 96 रकबा 3.3751 हैक्टयर संयुक्त कृषि भूमि आई हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों ने प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र फौजिया जाति छीपा गलत नाम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसै आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में सही नाम रूपेश फौजाजी सोलंकी पुत्र फौजाराम है। स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने भी प्रार्थी का नाम रूपाराम पुत्र फोजिया की जगह रूपेश फौजाजी सोलंकी पुत्र फौजारामजी नाम सही करने को उचित बताया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा जोगापुरा** पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज के **खसरा नंम्बर 96 कुल रकबा 3.3751 हैक्टयर** में दर्ज नाम रूपाराम पुत्र फोजिया के स्थान पर **"रूपेश फौजाजी सोलंकी पुत्र फौजाराम"** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:34:18 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांकः–कोर्ट/2024/499

दिनांक 28–08–2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)